संख्या-57/2017/751/नौ-5-17-221बजट/15

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक(अमृत)/निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन (AMRUT) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एसएमएमयू/219/39(1)-अमृत, दिनांक 22 फरवरी, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन (AMRUT) के अन्तर्गत सैप वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष क्रमशः सैप वर्ष 2015-16 हेतु अवशेष राज्यांश रूपए 5446.17 लाख ( रूपए चौव्वन करोड़ छियालिस लाख सत्रह हजार मात्र) तथा सैप वर्ष 2016-17 हेतु रूपए 6297.98 लाख (रूपए बासठ करोड़ सन्तानबे लाख अठ्ठानबे हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रूपए 11744.15 लाख (रू0 एक अरब सत्रह करोड़ चौवालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपए में)

| क्रमांक | सैप वर्ष | भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि | राज्य सरकार द्वारा मिशन निदेशक को अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि | केन्द्रांश के सापेक्ष परियोजनावार कुल अवमुक्त राज्यांश की धनराशि | | अवशेष राज्यांश | अवशेष के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | देय राज्यांश | अवमुक्त राज्यांश | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2015-16 | 28181.00 | 28181.00 | 22139.01 | 16692.84 | 5446.17 | 5446.17 |
| 2 | 2016-17 | 32760.00 | 32760.00 | 27013.42 | 1369.63 | 25643.79 | 6297.98 |
| | | योग | | 49152.43 | 18062.47 | 31089.96 | 11744.15 |

(रू0 एक अरब सत्रह करोड़ चौवालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में व्यय की जायेगी।

(2) अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन टांसफारमेशन (AMRUT) के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि में से रू0 7148.73 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाए-191-नगर निगमों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन के अन्तर्गत सहायता-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें तथा रू0 4595.42 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाए-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन के अन्तर्गत सहायता-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयैं ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( उमा शंकर सिंह )
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-57/2017/751(1)/नौ-5-17-221बजट/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )
विशेष कार्याधिकारी।